

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 979/2023

डॉ. गोविन्द नारायण अग्रवाल

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, करौली।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2023

आदेश की दिनांक : 22.03.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित व्यास, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (शिशु) के पद पर राजकीय चिकित्सालय, करौली में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.11.2021 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी को आवास आवंटन कमेटी की अभिशंषा पर एमसीएच विंग में नवनिर्मित आवास संख्या एम-01 दिनांक 01.12.2021 से आवंटित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के पुनः आदेश दिनांक 06.04.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को एमसीएच विंग में नवनिर्मित आवास संख्या एम-01 आवंटित कर निर्देशित किया गया है कि सात दिवस में आवास अधिग्रहण कर पालना रिपोर्ट से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.12.2021 (अनुलग्नक-4) द्वारा कार्यालय के आदेश क्रमांक 1380 दिनांक 29.11.2021 के द्वारा आवास आवंटन किये गये थे। जिसके संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन प्रेषित किये हैं। अतः अभ्यावेदन के संबंध में आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध करावे जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राजकीय आवास आवंटन निरस्त करने हेतु पत्र लिख निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आवास आवंटित हेतु आवेदन नहीं किया गया है। चूंकि अपीलार्थी अपने स्वयं के आवास में 20 वर्षों से रह रहा है। अपीलार्थी एवं अन्य

डॉ0 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15550/2022 डॉ0 गोविन्द नारायण अग्रवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 (अनुलग्नक-11) द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निस्तारण करे एवं अपील पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य